भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 492
दिनांक 06 फरवरी, 2024 / 17 माघ, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

स्वापक पदार्थों की तस्करी

492. श्री राहुल कस्वां:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने स्वापक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए पड़ोसी देशों के साथ कोई सहयोगात्मक प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) युवाओं में स्वापक पदार्थों के दुरुपयोग में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य योजना बनाई गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): सरकार स्वापक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए पड़ोसी देशों के साथ संयुक्त रुप से अनेक प्रयास कर रही है। इनमें से कुछ का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

- अफगानिस्तान, म्यांमार, चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय समझौतों के साथ स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) तथा रासायनिक प्रिकर्सर्स की अवैध तस्करी तथा संबंधित अपराध से निपटने के लिए स्वापक पदार्थों संबंधी मामलों/सुरक्षा सहयोग के लिए भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार और नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना।

- पड़ोसी देशों के साथ आसूचना साझा करने तथा 'नियंत्रित वितरण संचालन (सीडी)' चलाए जा रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारत ने एक अवसर पर पाकिस्तान और एक अवसर पर अफगानिस्तान के साथ 'नियंत्रित वितरण संचालन (सीडी)' चलाए हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले मादक पदार्थों से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए पड़ोसी देशों जैसे कि म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, आदि, के साथ महानिदेशक स्तरीय वार्ता आयोजित की गई है।

- स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), भारत और सेन्ट्रल कमिटी ऑन ड्रग एब्यूज कंट्रोल (सीसीडीएसी), म्यांमार, दोनों देशों में मादक पदार्थों संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और इसके

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 492, दिनांक 06.02.2024

समाधान हेतु, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नियमित रूप से एफएलओ (फील्ड लेवल ऑफिसर) बैठकें आयोजित कर रहे हैं।

(ग): मादक पदार्थों के सेवन की समस्या का समाधान करने के लिए, सरकार ने ''नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर)'' तैयार करके इसे कार्यान्वित किया है, जिसके तहत सरकार युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की समस्या को रोकने के लिए एक निरंतर और समन्वित कार्रवाई कर रही है। इसमें निम्नलिखित कार्रवाई शामिल हैं:

क. 272 सर्वाधिक संवेदनशील जिलों में ''नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए)'' शुरू करना, जिसे बाद में देश के सभी जिलों में विस्तारित किया गया, जिसके तहत 8000 से अधिक युवा स्वयंसेवकों के माध्यम से बड़े पैमाने पर समुदाय तक पहुंच बनाई जा रही है। नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) ने अब तक 3.39 करोड़ युवाओं और 2.27 करोड़ महिलाओं सहित 10.73 करोड़ व्यक्तियों तक पहुंच बनाई है।

ख. सरकार 342 'नशे के व्यसनियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए)' को सहायता प्रदान करती है। ये आईआरसीए न केवल मादक पदार्थों के पीड़ितों के लिए उपचार प्रदान करते हैं, बल्कि निवारक शिक्षा, जागरूकता सृजन, प्रेरणात्मक परामर्श, डिटॉक्सीफिकेशन/नशामुक्ति, बाद में देखभाल तथा समाज की मुख्यधारा से पुन: जोड़ने संबंधी सेवाएं भी प्रदान करते हैं। सरकार ने महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष नशामुक्ति केंद्र को भी सहायता प्रदान की है ।

ग. सरकार 47 'समुदाय आधारित पीयर लेड इंटरवेंशन (सीपीएलआई) केंद्रों' को सहायता प्रदान करती है। ये सीपीएलआई संवेदनशील तथा जोखिम वाले बच्चों और किशोरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके तहत, पीयर एडुकेटर्स जागरूकता पैदा करने और जीवन कौशल संबंधी गतिविधियों के लिए बच्चों को अपने साथ कार्य में लगाते हैं।

घ. सरकार 74 'आउटरीच और ड्रॉप इन केन्द्रों (ओडीआईसी)' को सहायता प्रदान करती है। ये ओडीआईसी स्क्रीनिंग, मूल्यांकन और परामर्श के प्रावधान के साथ मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के उपचार और पुनर्वास के लिए सुरक्षित और संरक्षित स्थान प्रदान करते हैं और उसके बाद मादक पदार्थ पर निर्भरता के लिए उपचार और पुनर्वास सेवाओं हेतु रेफरल और लिंकेज भी प्रदान करते हैं।

ङ सरकार कुछ सरकारी अस्पतालों में व्यसन उपचार सुविधाएं (एटीएफ) स्थापित करने के लिए भी सहायता प्रदान करती है, जिसे आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। अब तक, देश भर में सरकारी अस्पतालों में 66 व्यसन उपचार सुविधाएं (एटीएफ) स्थापित की गई हैं।

च. अब तक, 53 जिला नशा मुक्ति केंद्र (डीडीएसी) स्थापित किए जा चुके हैं, जो आईआरसीए, ओडीआईसी और सीपीएलआई द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी तीनों सुविधाएं एक छत्रक रूप में प्रदान करते हैं।

छ. सहायता मांगने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा नशामुक्ति के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन, 14446 कार्यरत है।

ज. सरकार अपने स्वायत्त निकाय 'राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी)' और अन्य सहयोगी एजेंसियों जैसेकि 'राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी)', 'केंद्रीय विद्यालय संगठन', आदि के माध्यम से छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों सहित सभी स्टेकहोल्डरों के लिए नियमित रूप से जागरूकता सृजन और सेंसिटाइजेशन सेशन की व्यवस्था करती है।

झ. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) द्वारा छात्रों (6वीं - 11वीं कक्षा), शिक्षकों और अभिभावकों को मादक पदार्थों पर निर्भरता, संबंधित रणनीतियों का सामना करना एवं जीवन कौशल के बारे में जागरूक करने के लिए नवचेतना मॉड्यूल, शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया है।

ञ. वर्ष 2022 में अभियान की शुरुआत के बाद से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) समर्थित केंद्रों से परामर्श और नशा मुक्ति सेवाएं लेने वाले लोगों में 37% की वृद्धि हुई है।

****